राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बीदासर

प्रकरण संख्या 75/2018 दायरा दिनांक 16-08-2018 पीठासीन अधिकारी

श्री ओमप्रकाश वर्मा

आरटीएस

तहसीलदार बीदासर

राजस्थान सरकार बनाम पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी

प्रार्थी.................

बनाम

मोहननाथ पुत्र बन्नानाथ जाति सिद्ध नि. मालासर

अप्रार्थी.............

निर्णय दिनांक 05.09.2018

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है, पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी मोहननाथ पुत्र बन्नानाथ जाति सिद्ध नि. मालासर ने रोही ग्राम मालासर के खसरा नं. 302 व 301 किस्म गै. मु. टाडा व गै. मु. कुआ रकबा 2.08 व 0.02 बीघा भूमि में से 0.01 व 0.005 बीघा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नीयत तारीख पेशी दिनांक 30.08.2018 को उपस्थित । जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नकल एक्स, जमाबन्दी व पी 14 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी मोहननाथ पुत्र बन्नानाथ जाति सिद्ध नि. मालासर ने रोही ग्राम मालासर के खसरा नं. 302 व 301 किस्म गै. मु. टाडा व गै. मु. कुआ रकबा 2.08 व 0.02 बीघा भुमि में से 0.01 व 0.005 बीघा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और भू0अ0 निरीक्षक कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमियों को भौतिक रूप बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी पटवार हल्का कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थी से शरह पड़ता लगान ग्राम मालासर 00.50 रू प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 0.01 व 0.005 बीघा की राशि 05/– पॉच रूपये वूसल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनशिचित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीदासर जिला चूरू (राज.)

उक्त मांग कायमी रा.ले. 4-9 पृष्ठ सं. 3 पर कर ली गई है।

तहसीलदार
बीदासर (चूरू)
तहसीलदार बीदासर

तहसील राजस्व लेखाकार
बीदासर